मि०प्र० – 14/2017

अनवान :

1. भूपसिंह पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम

... पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिडिया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए
राज.काश्त.अधि. 1955 एवं सपठित
धारा 8(2)राज. कोलोनाईजेसन कण्डीशन एक्ट

उपस्थित : वकील श्री विक्रम शर्मा – प्रार्थी

निर्णय *दिनांक : 27.9.18*

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की चक 8 एसडीआर के वर्तमान खाता संख्या 74/149 के मु.न. 86 के किला नं. 18/2 की 0.127 हैक्टर, किला नं. 19/1 की 0.063 हैक्टर किला नं. 22/2 की 0.063 हैक्टर किला नं. 23/2 की 0.127 हैक्टर कुल किता चार की 0.380 हैक्टर नहरी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। प्रमाणित जमाबंदी हाल संलग्न आवेदन है।

प्रार्थी की खातेदारी के चिपते ही पश्चिमी तरफ अप्रार्थी की चक 8 एसडीआर क ही खाता संख्या 74/149 के मु.न. 86 के किला नं. 19/2 की 0.190 हैक्टर, किला नं. 22 की 0.190 हैक्टर कुल 0.380 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थी की उक्त खातेदारी में प्रार्थी मु.न. 86 के किला नं. 20 व 21 के पूर्वी तरफ दक्षिण से उतर स्वीकृतशुदा रास्ता है जिससे होकर प्रार्थी अप्रार्थी के नाम चक 8 एसडीआर के मु.न. 86 के किला नं. 19/2 की 0.190 हैक्टर में उतर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलकर अपनी खातेदारी चक 8 एसडीआर के मु.न. 86 के किला नं. 19/1 में स्थित 0.063 हैक्टर में प्रवेश करता है। प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन का यही एक मात्र रास्ता है तथा इसके अलावा प्रार्थी की खातेदारी में

तहसीलदार (राज.)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

आवागमन करने का अन्य कोई रास्ता ना तो रिकार्ड में स्वीकृतशुदा है एवं ना ही मौका पर चालू है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी आपस में सगे भाई है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी की उक्त खातेदारी पहले मुश्तर्का खातेदारी हुआ करती थी जिसका 2014 में खाता तकसीम करवाया गया था। जिसके चक 8 एसडीआर के मु.न. 86 के किला नं0 19/2 में उतरी पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रास्ता चल रहा है वह रिकार्ड में सवीकृत करवाने से रह गया था। अब उक्त किला में रास्ता मौके पर चालू है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा में उक्त रास्ता का अंकन नही होने के कारण प्रार्थी को बार बार परेशानी हो रही है। इसलिये प्रार्थी अपनी खातेदारी चक 8 एसडीआर के मु.न. 86 के किला नं. 19/1 में प्रेवश करने के लिये अप्रार्थी की खातेदारी चक 8 एसडीआर के मु.न. 86 के किला नं. 19/2 की 0.190 हैक्टर में उतर की तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ 8–1/4 फिट चोडाई में पुरी लम्बाई में अर्थात 0.010 हैक्टर में रास्ता दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है। नक्शा नजरी संलग्न आवेदन पत्र है। जिससे साफ रोशन है।

उक्त रास्ता मु.न. 86 के किला नं. 19/2 में स्वीकृत नही होने के कारण अप्रार्थी ने प्रार्थी को उक्त रास्ता अवरूद्ध किये जाने का कहा है। यदि ऐसा हो जाता है तो प्रार्थी अपनी खातेदारी में नही जा सकेगा एवं प्रार्थी की खातेदारी काश्त के अभाव में बंजर हो जावेगी।

प्रार्थी ने अप्रार्थी को उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने एवं रास्ता को अवरूद्ध नही करने के लिये कहा तो उन्होने ऐसा करने से कल साफ इन्कार कर दिया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी उपस्थित नही होंने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई।

हस्तगत प्रकरण में हमारे द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया एवं उपस्थिति अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने चक 8 एसडीआर के मु.न. 86 के किला नं. 19/1 में प्रवेश करने के लिये अप्रार्थी की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ (राज0)

खातेदारी चक 8 एसडीआर के मु.न. 86 के किला नं. 19/2 की 0.190 हैक्टर में उतर की तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ 8–1/4 फिट चोडाई में पुरी लम्बाई में अर्थात 0.010 हैक्टर में रास्ता दर्ज करवाने हेतु पेश किया है। अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने के कारण प्रार्थी के आवेदन पत्र का कोई खण्डन नही किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251ए सपठित धारा 8(2) कॉलोनाईजेशन एक्ट का स्वीकार किया जाता है कि चक 8 एसडीआर के मु.न. 86 के किला नं. 19/2 की 0.190 हैक्टर में उतर की तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ 3–1/4 फिट चोडाई में पुरी लम्बाई में अर्थात 0.010 हैक्टर में रास्ता दर्ज किया जाता है तथा रास्ता में गई भूमि के एवज् में प्रार्थी भूपसिह की खातेदारी मु0नं0 86 के किला नं0 23/2 के दक्षिण साईड में पूर्व से पश्चिम 0.010 है0 कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 विजयसिह के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जावे। तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.9.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.
उपखण्ड भादरा (हनुमानगढ) उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ